रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 665] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 14, 2014/फाल्गुन 23, 1935
No. 665] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 14, 2014/PHALGUNA 23, 1935

## जल संसाधन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2014

**का.आ. 778(अ).**–अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 4 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 24, फरवरी, 2010 में अधिसूचना संख्यांक का आ. 465(अ), तारीख 24 फरवरी, 2010 द्वारा वंसधारा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन अंतर्राज्यिक वंसधारा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था;

और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उक्त अधिकरण को तीन वर्ष की अवधि के भीतर, अपनी रिपोर्ट और यथा अपेक्षित विनिश्चय को तारीख 23 फरवरी, 2013 को या उससे पूर्व देना अपेक्षित है;

और अपरिहार्य कारणों से उक्त अधिकरण अपनी रिपोर्ट को तीन वर्ष की उक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं कर सका है;

और उक्त अधिकरण ने केन्द्रीय सरकार से रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने के लिए अवधि 23 फरवरी, 2013 से एक वर्ष की और बढाने का अनुरोध किया है;

और ओडिशा की सरकार सिविल रिट याचिका सं. 2006 का 443 में अर्न्तवर्ती आवेदन सं. 2013 का 8 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में केन्द्रीय सरकार को अधिकरण के गठन की तारीख 17 सितंबर, 2012 से संगणना का निदेश देने के लिए की गयी थी ।

और, माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 13, दिसंबर, 2013 को मामले को सुनकर यह आदेश पारित किया कि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित तीन वर्ष की अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिए वंसधारा जल विवाद अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख के रूप में 17 सितंबर, 2012 की तारीख से अधिकरण को कार्य आरंभ करने के रूप में समझा जायेगा;

और, उक्त अधिकरण ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार उक्त अधिकरण के गठन की तारीख का संशोधन करने का अनुरोध किया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 13 दिसंबर, 2013 के अनुसरण में विचार करके यह विनिश्चय किया है कि उक्त प्राधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 17 सिंतबर, 2012 होगी, और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन वंसधारा जल विवाद अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की तीन वर्ष की अवधि की संगणना 17 सितम्बर, 2012 से प्रारंभ होगी ।

[फा. सं. 5/2/2006-बी.एम.]

उर्विला खाती, संयुक्त सचिव (पी.पी.)

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2014

**S.O. 778(E).—**Whereas, the Vansadhara Water Disputes Tribunal (hereinafter called the said Tribunal) was constituted on the 24th February, 2010 *vide* notification number S.O. 465(E), dated the 24th February, 2010 under section 4 of the Inter-State River Water Disputes, Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter called the said Act) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Vansadhara and river valley thereof;

And Whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act within a period of three years, on or before the 23rd February, 2013 ;

And Whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from 23rd February, 2013 ;

And Whereas, the Central Government *vide* notification number S.O. 436(E), dated the 22nd February, 2013, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year upto 23rd February, 2014 ;

And Whereas, the Government of Odisha approached the Hon'ble Supreme Court *vide* Interlocutory Application No. 8 of 2013 in Writ Petition (C) No. 443 of 2006 to direct the Central Government to reckon the date of constitution of the Tribunal as 17th September, 2012 ;

And Whereas, the Hon'ble Supreme Court heard the matter and passed the order on 13th December, 2013 that as the Tribunal started functioning with effect from 17th September, 2012, that date be considered as the effective date of the constitution of the Vansadhara Water Disputes Tribunal for the purpose of calculating the period of three years as provided under sub-section (2) of section 5 of the said Act ;

And Whereas, the said Tribunal has requested to amend the date of constitution of the said Tribunal as directed by the Hon'ble Supreme Court;

Now, therefore, in pursuance of the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 13th December, 2013, the Central Government has considered and decided that the effective date of constitution of said Tribunal shall be 17th September, 2012, and accordingly, under the provisions of sub-section (2) of section 5 of the said act, the period of three years for submission of report and decision by the Vansadhara Water Disputes Tribunal shall commence from the 17th September, 2012.

[F. No. 5/2/2006-BM]
URVILLA KHATI, Jt. Secy. (PP)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.